संख्या-32 /2016/1030 ई-2/तेरह-2016-29/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 09 जून,2016

विषय:-मेसर्स नन्दनीय रेस्टोरेन्ट तारामण्डल, गोरखपुर संचालक श्री दिग्विजय नाथ लोहिया पुत्र श्री रजित नन्दननाथ थाना गोरखपुर लाल डिग्गी पार्क साहबगंज, गोरखपुर को एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-1637/जि0आ0अ0/गोरखपुर, दिनांक 01-3- 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 22-01-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-253/दस-लाइसेंस-43/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/गोरखपुर, दिनांक 21 मार्च,2016 तथा पत्र संख्या-जी-20/दस-लाइसेंस-43/97-98/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/गोरखपुर, दिनांक 22 अप्रैल,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2016-17 हेतु श्री दिग्विजय नाथ लोहिया पुत्र श्री रजित नन्दननाथ निवासी शेषपुर लाल डिग्गी पार्क साहबगंज, गोरखपुर के नाम उनके द्वारा संचालित मेसर्स नन्दनीय रेस्टोरेन्ट तारामण्डल, गोरखपुर में एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

कृपया तदनुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-32/2016/1030(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-253/दस-लाइसेंस-43/एफ0एल0-6,7/बार अनु0/गोरखपुर, दिनांक 21 मार्च,2016 तथा पत्र संख्या-जी-20/दस-लाइसेंस-43/97-98/एफ0एल0-6,7/बारअनु0/गोरखपुर, दिनांक 22 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।